



# राष्ट्रीय सेवा योजना

## डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक : लो०अ०वि०/रा०से०यो०/2396/2022

दिनांक : 31, मार्च, 2022

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,  
राष्ट्रीय सेवा योजना,  
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय।

**विषय:-** राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा ई०टी०आई० प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभाग की अनिवार्यता के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक क्षेत्रीय निदेशक, खेल मंत्रालय, रा०से०यो० क्षेत्रीय निदेशालय, केन्द्रीय भवन, आठवाँ तल, हाल नम्बर-1, सेक्टर-एच०, अलीगंज, लखनऊ के संलग्न पत्र संख्या:-05-12/रा०से०यो०/क्ष०नि०/लख०/2021-2022, दिनांक 23.03.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि कार्यक्रमाधिकारियों की नियुक्ति के अघिक्तम 01 वर्ष के अन्दर प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने महाविद्यालय/संस्थान के अप्रशिक्षित कार्यक्रमाधिकारियों को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

**संलग्नक:-** यथोपरि।

कुलसचिव/कार्यक्रम समन्वयक


**प्रतिलिपि:-** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, रा०से०यो० क्षेत्रीय निदेशालय, केन्द्रीय भवन, आठवाँ तल, हाल नम्बर-1, सेक्टर-एच०, अलीगंज, लखनऊ।
2. डॉ० अंशुमालि शर्मा, विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग रा०से०यो०प्र०, विधान भवन, लखनऊ।
3. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० को उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाईट एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों की लॉग-इन पर अपलोड किये जाने हेतु।
4. निजी सचिव, कुलपति को, कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
5. आशुलिपिक, वित्त अधिकारी/कुलसचिव को, वित्त अधिकारी/कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
6. पत्रावली।

कुलसचिव/कार्यक्रम समन्वयक



भारत सरकार  
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय  
(युवा कार्यक्रम विभाग)  
राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रीय निदेशालय  
(उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड)  
केन्द्रीय भवन, आठवाँ तल, हाल नं० 1,  
सेक्टर-‘एच’, अलीगंज, लखनऊ - 226024, उ०प्र०  
दूरभाष : 0522 { 2337066 (टेलीफैक्स)  
4079533



Government of India  
Ministry of Youth Affairs & Sports  
(Department of Youth Affairs)  
Regional Directorate of National Service Scheme  
(Uttar Pradesh, Uttarakhand)  
Kendriya Bhawan, 8<sup>th</sup> Floor, Hall No. 1,  
Sector 'H', Aliganj, Lucknow-226024, UP  
email: nssrc.lu-up@gov.in, nssrclucknow@gmail.com  
nssrclucknow@yahoo.com  
facebook: NSSRD LUCKNOW

सं०-5-12/रासेयो/क्षेनि/लख/2021-22

दिनांक:- मार्च 23, 2022

सेवा में,

राज्य रासेयो अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड

विषय: राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा ई०टी०आई० प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभाग की अनिवार्यता के संबंध में।

महोदय,


जैसा कि विदित है कि ई०टी०आई० प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से अप्रशिक्षित कार्यक्रम अधिकारियों को राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। विश्वविद्यालयों द्वारा अप्रशिक्षित कार्यक्रम अधिकारियों की सूची शिक्षण संस्थानों की सहमति के आधार पर ई०टी०आई० को उपलब्ध कराई जाती है।

कार्यक्रम संचालन में गुणवत्ता के लिए कार्यक्रम अधिकारी का प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। रासेयो मैनुअल के अनुसार वस्तुतः कार्यक्रम अधिकारी की नियुक्ति के 3 माह के अंदर उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में उन्हें अधिकतम 1 वर्ष के अंदर आवश्यक रूप से प्रशिक्षण प्राप्त कर लेना चाहिए।

प्रायः यह देखने में आता है कि सहमति के बाद भी कई कार्यक्रम अधिकारी प्रशिक्षण में प्रतिभाग नहीं करते हैं। जिससे प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त संख्या नहीं होने के कारण कई बार प्रशिक्षण कार्यक्रम रद्द करना पड़ता है, अतः ई०टी०आई० द्वारा प्रस्तावित प्रशिक्षणों की संख्या भी पूर्ण नहीं हो पाती है और भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान का उपयोग एन०एस०एस० के कार्यों में नहीं हो पाता।

अतः ऐसे कार्यक्रम अधिकारी, जो प्राचार्यों द्वारा कार्यमुक्ति के बाद भी ई०टी०आई० के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभाग नहीं करते हैं, उनके आउट ऑफ पाकेट एलाउन्स जारी करने पर विचार किया जाना चाहिए, इस आशय का पत्र आपके स्तर से रासेयो संचालित समस्त विश्वविद्यालयों/+2 स्तर से जारी किए जाने की अपेक्षा है।

भवदीय,

  
(डा० अशोक कुमार श्रोती)  
क्षेत्रीय निदेशक

प्रतिलिपि:-

1. अवर सचिव, राष्ट्रीय सेवा योजना, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
2. समस्त कार्यक्रम समन्वयक, रासेयो को इस आशय से प्रेषित कि अप्रशिक्षित कार्यक्रम अधिकारी वाली यूनिट को अगले वर्ष आवंटन हेतु अनुशंसा न करें।